Procedure to View Jharkhand Law Orders/Judgements Translated in Hindi

Step:1 Hindi translated Orders and Judgements have been uploaded Year wise with their corresponding index.

Step:2 Download the Orders/Judgements with their index by selecting and clicking the same separately.

Step:3 Open the downloaded index as well as Orders/Judgements in Adobe Reader.

Step:4 Below sample index shows two columns

(1.) Name of parties (2.) Page No.

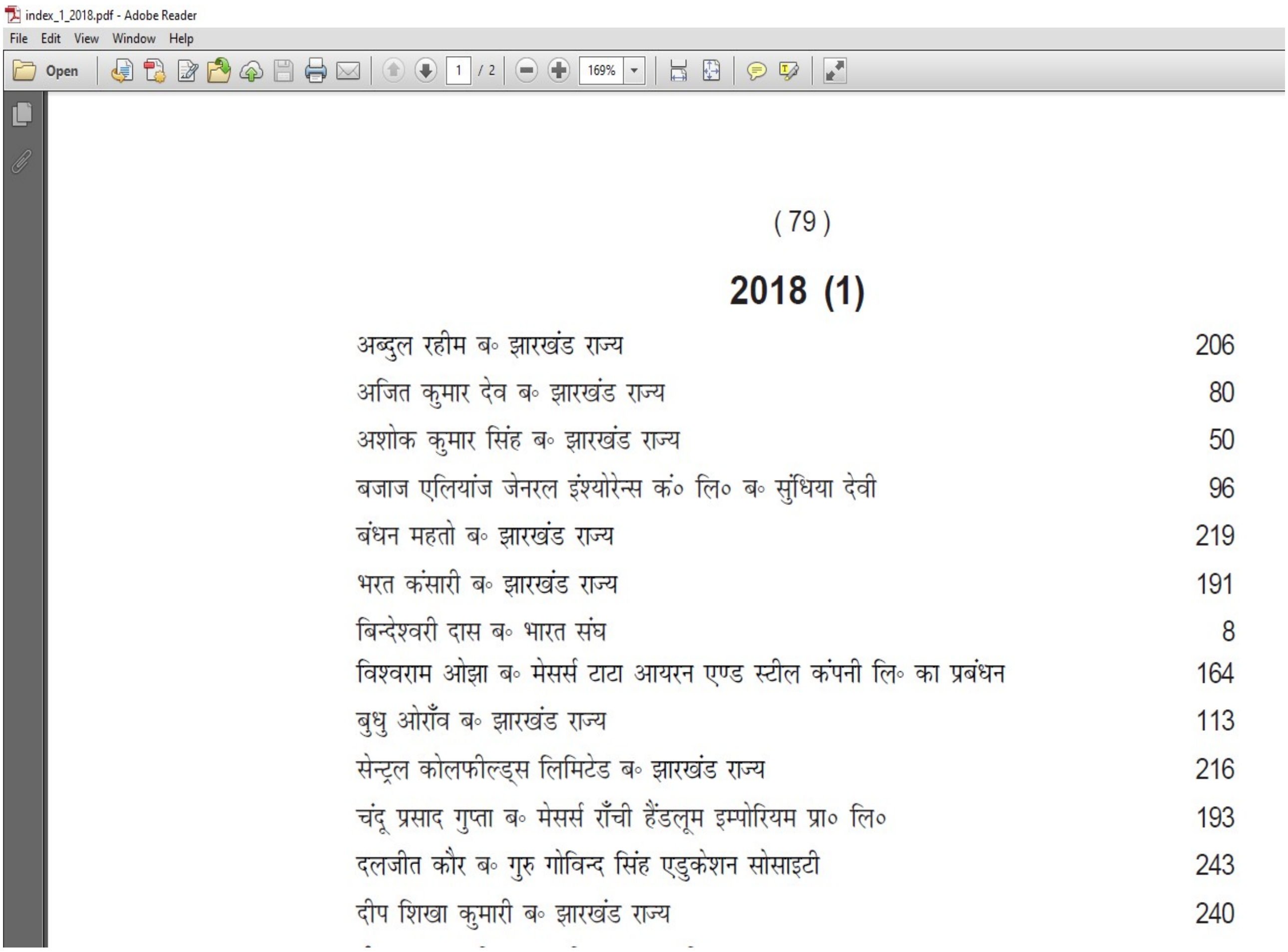

(79)

2018 (1)

अब्दुल रहीम ब॰ झारखंड राज्य	206
अजित कुमार देव ब॰ झारखंड राज्य	80
अशोक कुमार सिंह ब॰ झारखंड राज्य	50
बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेन्स कं॰ लि॰ ब॰ सुंधिया देवी	96
बंधन महतो ब॰ झारखंड राज्य	219
भरत कंसारी ब॰ झारखंड राज्य	191
बिन्देश्वरी दास ब॰ भारत संघ	8
विश्वराम ओझा ब॰ मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि॰ का प्रबंधन	164
बुधु ओराँव ब॰ झारखंड राज्य	113
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ब॰ झारखंड राज्य	216
चंदू प्रसाद गुप्ता ब॰ मेसर्स राँची हैंडलूम इम्पोरियम प्रा॰ लि॰	193
दलजीत कौर ब॰ गुरु गोविन्द सिंह एडुकेशन सोसाइटी	243
दीप शिखा कुमारी ब॰ झारखंड राज्य	240

Step:5 Search the parties Name in Column 1 and use the corresponding Page Number in Column 2 in the Orders/Judgements page.

For eg. Ajit Kumar Deo Vs. State of Jharkhand. (page no. - 80)

Step:6 Enter the Page No. in the opened Order/Judgements page.

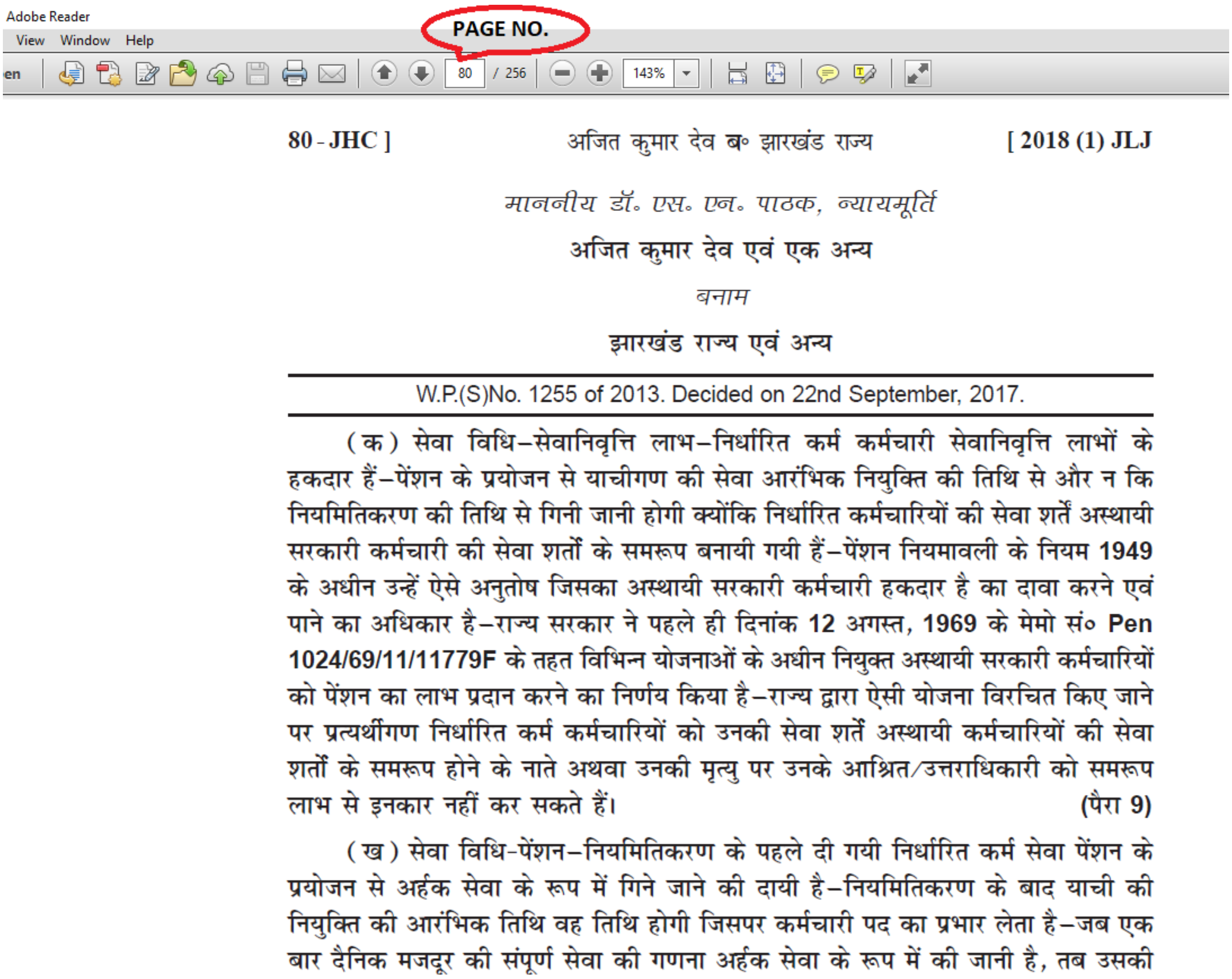

80 - JHC] अजित कुमार देव ब० झारखंड राज्य [2018 (1) JLJ

माननीय डॉ० एस० एन० पाठक, न्यायमूर्ति

अजित कुमार देव एवं एक अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S)No. 1255 of 2013. Decided on 22nd September, 2017.

(क) सेवा विधि–सेवानिवृत्ति लाभ–निर्धारित कर्म कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं–पेंशन के प्रयोजन से याचीगण की सेवा आरंभिक नियुक्ति की तिथि से और न कि नियमितिकरण की तिथि से गिनी जानी होगी क्योंकि निर्धारित कर्मचारियों की सेवा शर्तें अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों के समरूप बनायी गयी हैं–पेंशन नियमावली के नियम 1949 के अधीन उन्हें ऐसे अनुतोष जिसका अस्थायी सरकारी कर्मचारी हकदार है का दावा करने एवं पाने का अधिकार है–राज्य सरकार ने पहले ही दिनांक 12 अगस्त, 1969 के मेमो सं० Pen 1024/69/11/11779F के तहत विभिन्न योजनाओं के अधीन नियुक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने का निर्णय किया है–राज्य द्वारा ऐसी योजना विरचित किए जाने पर प्रत्यर्थीगण निर्धारित कर्म कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तें अस्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समरूप होने के नाते अथवा उनकी मृत्यु पर उनके आश्रित/उत्तराधिकारी को समरूप लाभ से इनकार नहीं कर सकते हैं। (पैरा 9)

(ख) सेवा विधि-पेंशन–नियमितिकरण के पहले दी गयी निर्धारित कर्म सेवा पेंशन के प्रयोजन से अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने की दायी है–नियमितिकरण के बाद याची की नियुक्ति की आरंभिक तिथि वह तिथि होगी जिसपर कर्मचारी पद का प्रभार लेता है–जब एक बार दैनिक मजदूर की संपूर्ण सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जानी है, तब उसकी

Note:- If Order/Judgement is not able to read in proper format in Hindi. Please download and install all the fonts provided in the website. i.e. (fonts.zip)